हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड धर्मशाला के लेखाओं का
अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन
अवधि 1.4.2016 से 31.3.2017
भाग–एक

1 **प्रारम्भिक**

(क) हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड धर्मशाला के लेखाओं का अंकेक्षण स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा तकनीकी शिक्षा बोर्ड अधिनियम 1986 की धारा 20 के अन्तर्गत दिए गए प्रावधानों के अनुसार किया जाता है।

(ख) वर्तमान अंकेक्षण अवधि के दौरान निम्नलिखित अधिकारी तकनीकी शिक्षा बोर्ड में कार्यरत्त रहेः–

क्रमांक	पद	नाम	अवधि
1	अध्यक्ष	श्री संजय गुप्ता	1.4.16 से लगातार
2	सचिव	श्री सुनील कुमार वर्मा	1.4.16 से लगातार
3	आहरण एवं वितरण अधिकारी	श्री एम0डी0 शर्मा	1.4.16 से लगातार

(ग) गम्भीर अनियमितताओं का संक्षिप्त सारः–

क्र0सं0	पैरा सं0	अनियमितता का विवरण	राशि (लाखों में)
1	9	तकनीकी शिक्षा बोर्ड द्वारा गाड़ियों का बीमा न करवाना	–
2	11	LEET तथा PAT-2016 की विभिन्न भुगतानों में छात्रों की संख्या में भिन्नता	–

(घ) गत अंकेक्षण प्रतिवेदन

हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड द्वारा गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के शेष लम्बित पैरों पर की गई कार्यवाही की समीक्षा वर्तमान अंकेक्षण के दौरान की गई समीक्षा के दौरान पाया गया कि बोर्ड द्वारा पुराने अंकेक्षण प्रतिवेदनों पर कार्यवाही उपरान्त अभी भी अधिकतर पैरे अनिर्णीत है। अतः परामर्श दिया जाता है कि गत सभी अंकेक्षण प्रतिवेदनों के शेष पैरों पर

वांन्छित कार्यवाही शीघ्र अमल में लाई जाए तथा पैरों का निपटारा प्राथमिकता के आधार पर करवाया जाए। वर्तमान अंकेक्षण के पश्चात निपटारे हेतु शेष पैरों की नवीनतम स्थिति का विवरण **परिशिष्ट "A"** पर दिया गया है।

भाग–दो

2 वर्तमान अंकेक्षण

हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड धर्मशाला के अवधि 1.4.2016 से 31.3.2017 लेखों का वर्तमान अंकेक्षण श्री तरबीज कुमार, सहायक नियन्त्रक द्वारा दिनांक 15.1.2018 से 22.2.2018 तक के दौरान कार्यालय परिसर में किया गया। आय की विस्तृत जाँच के लिए माह जून, 2016 तथा व्यय की विस्तृत जाँच के लिए माह मार्च 2017 का चयन किया गया।

यहाँ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन को बोर्ड के नियन्त्रण अधिकारी/सचिव द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर तैयार किया गया है। स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग उक्त संस्था द्वारा उपलब्ध करवाई गई किसी भी प्रकार की गलत सूचना अथवा सूचना जो उपलब्ध नहीं करवाई गई, की जिम्मेवारी लेने से इन्कार करता है। अंकेक्षण की जिम्मेवारी केवल चयनित माह तक सीमित है।

3 अंकेक्षण शुल्क

हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड धर्मशाला के अवधि 1.4.2016 से 31.3.2017 तक के लेखाओं के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹26000 बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को राजकीय कोष में जमा करवाने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 386 दिनांक 20.2.2018 द्वारा सचिव हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड से अनुरोध किया गया।

4 वित्तीय स्थिति

हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड द्वारा उपलब्ध करवाई गई **परिशिष्ट–B** के अनुसार अंकेक्षण अवधि की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से थीः–

(क) GENERAL +PAT Cash book 2016-17

विवरण	राशि
आ0 शेष	240749132.81
पावतियाँ	81787632.80
ब्याज (बचत)	1561626.00

ब्याज (सावधि)	17935351.00
कुल जोड़	**342033742.61**
व्यय	67384061.94
अन्तशेष	274649680.67

अन्तशेष का विवरणः–

दिनांक 31.3.2017 को सामान्य निधि से सम्बन्धित बचत खातों में तथा सावधि जमा योजना में निवेशित राशि का विवरण **परिशिष्ट–B-1 व B-2** के अनुसार निम्न प्रकार से है।

क्र0सं0	खाता सं0	बैंक का नाम	राशि
1	87950100608745	HGB, Dari	3487111.00
2	26030110001707	UCO, Dari	2111436.81
3	26030110013366	UCO, Dari	484164.25
4	2012932449	KCCB, Dari	9144716.00
5	11510110009284	UCO, D/Shala	2362683.82
6	65253537577	SBI, Kachahri	1379828.32
7	652539654112	SBI, Kachahri	172186.00
8	10551097385	SBI, D/Shala	384104.73
9	10551212323	SBI, D/Shala	35608.58
10	20129033816	KCCB D/Shala	961461.00
11	771101011000001	Vijya Bank, Kangra	11112925.00
		Total	**31636225.51**
		सामान्य निधि से सावधि जमा योजना में	245069476.00
		निवेशित राशि **(परिशिष्ट B-2)**	276705701.51
		योग	**276705701.51**

नोटः–1 दिनांक 31.3.2017 को रोकड़ बही तथा के बैंकों अन्तशेष में ₹2056020.84 (₹276705701.50 (–) 274649680.67) का अन्तर पाया गया जिससे सम्बन्धित बैंक समाधान विवरणिका **परिशिष्ट B-1** पर दी गई है।

नोटः– 2 उक्त **परिशिष्ट B-1** पर वर्णित बैंक समाधान विवरणिका में कुछ राशियाँ पिछले कुछ वर्षों से अनिर्णीत चली आ रही है, जिनका समायोजन करके तदानुसार बैंक समाधान विवरणिका तैयार की जाये।

नोटः–3 उक्त **परिशिष्ट B-1** में वर्णित बैंक समाधान विवरणिका में ड्राफ्ट बैंक में जमा दर्शाया गया जिनको बैंक द्वारा 31.3.2017 तक क्रेडिट नहीं किया गया है। अतः उन ड्राफ्टों को 31.3.17 के पश्चात क्रेडिट करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए। इसी प्रकार बैंक समाधान विवरणिका में कुछ चैक जारी किये गये है जिनको दिनांक 31.3.2017 तक बैंक में प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः इन चैकों को 31.3.2017 के पश्चात प्रस्तुत करने की तिथि अंकित की जाए तथा यदि इनमें से कुछ चैक निर्धारित समय अवधि तक बैंक में प्रस्तुत नहीं किए गए हो तो उन चैकों के बारें में नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाकर इनको वापिस खातों में जमा किया जाए।

(ख) Teacher Welfare Fund (TWF) Cash book 2016-17 (परिशिष्ट–C)

विवरण	**राशि**
आ0 शेष	648899.67
पावतियाँ	98220.00
ब्याज	34386.00
योग	**781505.67**
व्यय	शून्य
अन्तशेष	781505.67

अन्तशेष का विवरणः–

TWF Cash Book से सम्बन्धित बैंक खाते में दिनांक 31.3.2017 के अन्तशेष निम्न प्रकार से रहा **(परिशिष्ट–C-1)**

बैंक का नाम	**खाता सं0**	**राशि**
SBI	10551210336	769158.67

अन्तशेष में अन्तर ₹12347 के (781505.67 – 769158.67) बैंक समाधान का विवरण **परिशिष्ट C-1** दिया गया है।

नोटः–1 उक्त परिशिष्ट **परिशिष्ट C-1** में वर्णित बैंक समाधान विवरणिका में कुछ राशियाँ गत वर्षों से अनिर्णीत चली आ रही है जिनका समायोजन करके तदानुसार बैंक समाधान विवरणिका तैयार की जाएं।

नोटः– 2 उक्त **परिशिष्ट–C-1** में वर्णित बैंक समाधान विवरणिका में बैंक में जमा दर्शाए गए है जिनको बैंक द्वारा 31.3.2017 तक क्रेडिट नहीं किया गया है। अतः इन चैकों को 31.3. 2017 के पश्चात बैक द्वारा क्रेडिट करवाया जाना सुनिश्चित किया जाये।

(ग) CPF Cash Book 2016-17 (परिशिष्ट–D)

विवरण	**राशि**
आ0 शेष	21388066.06
पावतियाँ	2423805.00
ब्याज बचत व सावधि	1750176.00
सामान्य खाते से हस्तांतरित	200000.00
योग	**25762047.06**
व्यय	3733222.00
अन्तशेष	22028825.06

अन्तशेष का विवरणः–

CPF Cash Book से सम्बन्धित बैंक खताों में दिनांक 31.3.2017 को अन्तशेष निम्न प्रकार से रहा हैः–

बैंक का नाम	**परिशिष्ट**	**खाता सं0**	**राशि**
सावधि में निवेशित राशि	**परिशिष्ट D-1**		19997769.00
बचत खाता	**परिशिष्ट D-2**	10551097396	1924257.06

नोटः–1 दिनांक 31.3.2017 को रोकड़ बही एवं बैंक खातों के अन्तिम शेष में ₹106799 (₹22028825.06 (–) 21922026.06) का अन्तर पाया गया जिससे सम्बन्धित बैंक समाधान विवरणिका परिशिष्ट दी गई है।

नोटः– 2 उक्त **परिशिष्ट D-1** में वर्णित बैंक समाधान विवरणिका में कुछ राशियाँ पिछले कुछ वर्षों से अनिर्णीत चली आ रही है जिनका समायोजन करके तदानुसार बैंक समाधान विवरणिका तैयार की जाएं।

नोटः– 3 उक्त **परिशिष्ट D-2** में वर्णित बैंक समाधान विवरणिका में कुछ राशि बैंक में जमा दर्शाई गई है जिनको बैंक द्वारा 31.3.2017 तक क्रेडिट नहीं किया गया है। अतः इन राशियों को 31.3.2017 के पश्चात बैंक द्वारा क्रेडिट करवाया जाना सुनिश्चित किया जाये।

नोटः–4 बोर्ड की C.P.F. से सम्बन्धित दायित्व (Liabilities) तथा उसका भुगतान करने के लिए C.P.F. से सम्बन्धित विभिन्न बैंक खातों में जमा राशि एवं सावधि में जमा राशि का विवरण **परिशिष्ट D-2 & 3** पर दिया गया है।

(घ) गुप्त निधि 2016–17 (परिशिष्ट–E)

विवरण	**राशि**
आ0 शेष	1289544.74
सा0 खाते से हस्तांतरित राशि	5000000.00
ब्याज	24146.00
योग	**6313690.74**
व्यय	3740298.00
अन्तशेष	2573392.74

5 श्री गम्भीर सिंह नेगी (सेवानिवृत) की Qualifying Service की गणना में त्रुटि बारे

श्री गम्भीर सिंह नेगी की (सेवानिवृत अधीक्षक) की Qualifying Service की गणना की जाँच में पाया गया कि श्री गम्भीर सिंह नेगी, अधीक्षक के पद से दिनांक 30.11.17 को सेवा निवृत किया गया तथा निम्नविवरणानुसार उनकी Qualifying Service 61 half years बनती थी जबकि बोर्ड द्वारा 60 half years की गणना की है जिसके लिए स्थिति स्पष्ट करें तथा नियमानुसार इसकी पुनः जाँच करें।

Date of Birth	2.11.1959
Date of Appointment	10.7.87
Date of Retirement	30.11.17
Qualifying Service	30 years 4 month 22 days
	61 half years

6 आय कर ₹0.11 लाख की स्त्रोत पर कटौती न करने बारे

वाउचर संख्या 732 दिनांक 20.12.16 की जाँच में पाया गया कि श्री सुरेन्द्र शर्मा, वकील हाई कोर्ट शिमला को विभिन्न केसों की पैरवी के लिए ₹105600 का भुगतान किया गया था परन्तु नियमानुसार उक्त बिल से 10**%** की दर से स्त्रोत पर आयकर ₹10560 की कटौती नहीं की गई। अतः आय कर की कटौती न करने के लिए स्थिति स्पष्ट की जाये व भविष्य में नियमानुसार स्त्रोत पर आयकर की कटौती की जानी सुनिश्चित की जाए।

7 अग्रिम राशि के समायोजन न करने बारे

अंकेक्षण के दौरान जाँच में पाया गया कि श्री राकेश कुमार, चालक को वाउचर संख्या 816 दिनांक 16.1.17 द्वारा ₹2000 का अग्रिम का भुगतान किया गया जिसका समायोजन अंकेक्षण अवधि तक नहीं किया गया था जबकि नियमानुसार अग्रिम का समायोजन कार्य के समाप्ति के बाद तुरन्त समायोजन किया जाना अपेक्षित था। अतः उपरोक्त अग्रिम के समायोजन न किए जाने का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा अतिशीघ्र अग्रिम का समायोजन किया जाना सुनिश्चित किया जाए तदानुसार अनुपालना से इस विभाग को भी अवगत करवाया जाए।

8 ₹5.00 लाख के निर्माण कार्य का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करने बारे

अंकेक्षण के दौरान जाँच में पाया गया कि तकनीकी शिक्षा बोर्ड धर्मशाला द्वारा मुख्य अधीक्षण अभियन्ता हिमाचल प्रदेश औद्योगिक विकास कारपोरेशन लिमिटेड शिमला को ₹500100 निम्न निर्माण कार्य हेतु निक्षेप कार्य के अन्तर्गत जमा करवाये गये थे परन्तु इस कार्य से सम्बन्धित उपयोगिता प्रमाण पत्र अंकेक्षण में आवश्यक जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः इस उपयोगिता प्रमाण पत्र को सम्बन्धित विभाग से अविलम्ब प्राप्त करके आगामी अंकेक्षण में सत्यापन हेतु प्रस्तुत किया जाए।

क्र0सं0	वा0सं0/दिनांक	विवरण	राशि
1	498/28.9.16	कार्यालय व स्टाफ क्वाटरज की मुरम्मत का कार्य	500100

9 तकनीकी शिक्षा बोर्ड की गाडियों का बीमा न करवाने बारे

अभिलेख की जाँच में पाया गया कि तकनीकी शिक्षा बोर्ड द्वारा खरीदी गई गाड़ियों का बीमा किसी भी बीमा कम्पनी से नहीं करवाया गया था जोकि एक गम्भीर अनियमितता है। अंकेक्षण अधियाचना संख्या 1 दिनांक 23.1.2018 द्वारा सचिव तकनीकी शिक्षा बोर्ड धर्मशाला को इस बारे स्थिति स्पष्ट करने के लिए कहा गया था परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक कोई भी प्रतिउत्तर प्राप्त नहीं हुआ। अतः गाडियों का बीमा न करवाए जाने बारे औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा अतिशीघ्र नियमानुसार कार्यवाही की जाए।

10 तकनीकी शिक्षा बोर्ड की गाडियों का MLO धर्मशाला कार्यालय में ₹0.07 लाख वार्षिक टैक्स जमा करवाने बारे

अभिलेख की जाँच में पाया गया कि तकनीकी शिक्षा बोर्ड द्वारा निम्नविवरणानुसार गाड़ियों का वार्षिक टैक्स MLO, धर्मशाला के कार्यालय में जमा करवाया गया है।

क्र0सं0	गाड़ी नं0	रसीद सं0 / दि0	राशि	विवरण
1	एच0पी0–39–4315	ए0बी0 94074 / 13.4.16	3800	दिनांक 1.4.16 से 31.3.17 तक MLO धर्मशाला के कार्यालय में जमा करवाई गई वार्षिक टैक्स
2	एच0पी0–39 बी–3323	ए0बी094073 / 13.4.16	3000	–यथोपरि'–
		कुल टैक्स	**6800**	

उक्त वार्षिक टैक्स को MLO धर्मशाला कार्यालय में जमा करवाने बारे सचिव तकनीकी शिक्षा बोर्ड धर्मशाला से अंकेक्षण अधियाचना संख्या 2 दिनांक 23.1.18 द्वारा पूछा गया था कि यह वार्षिक टैक्स किए उद्देश्य हेतु जमा करवाया गया था परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक इसका प्रतिउत्तर प्राप्त नहीं हुआ, जिसके बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तदानुसार अपेक्षित अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

11 PAT-2016 व LEET-2016 से सम्बन्धित भुगतान में छात्रों की संख्या में पाई गई भिन्नता बारेः–

वाउचर संख्या 1007 दिनांक 30.7.17 द्वारा निदेशक तकनीकी शिक्षा को ₹150 प्रति छात्र की दर से ₹1307550 का भुगतान PAT-2016 तथा LEET 2016 की परीक्षाओं से सम्बन्धित किया गया जिसका विवरण निम्न प्रकार से हैः–

क्र0सं0	परीक्षा का नाम	छात्रों की सं0	दर	राशि
1	PAT-2016	6058	150	908700
2	LEET-2016	2659	150	398850
			योग	**1307550**

इसी प्रकार वाउचर संख्या 470 दिनांक 21.9.16 द्वारा मैसर्ज Gajanan Enterprises Pune को ₹13 प्रति छात्र की दर से ₹121563 का भुगतान भी उक्त परीक्षाओं से सम्बन्धित किया गय जिसका विवरण निम्न प्रकार से हैः–

क्र0सं0	परीक्षा का नाम	छात्रों की सं0	दर	राशि
1	PAT-2016	6641	13	86333
2	LEET-2016	2710	13	35230
			योग	**121563**

उपरोक्त विवरण के अवलोकन में यह पाया गया कि उक्त दोनों परीक्षाओं से सम्बन्धित भुगतान के लिये छात्रों की संख्या अलग अलग दर्शाई गई है जिसके बारे में स्थिति स्पष्ट करें।

12 स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन न किया जाना

अभिलेख की जाँच करने पर पाया गया कि तकनीकी शिक्षा बोर्ड द्वारा स्टॉक/स्टोर का प्रत्यक्ष सत्यापन (फिजिकल वेरिफिकेशन) नहीं करवाया गया जबकि हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियम 1971 खण्ड–1 के नियम 15.17 के अन्तर्गत स्टॉक मे ंपड़े सामान का प्रत्येक वर्ष प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित था। अतः नियमानुसार स्टोर/स्टोर का प्रत्यक्ष सत्यापन न करवाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाये तथा भविष्य में प्रत्येक वर्ष स्टॉक/स्टोर का प्रत्यक्ष सत्यापन करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

13 **लघु आपत्ति विवरणिकाः—** यह संस्था को अलग से जारी नहीं की गई है।

14 **निष्कर्षः—** लेखों के रख रखाव में सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता/—
(ज्ञान चन्द शर्मा)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009.
0177—2620881

पृष्ठांकन संख्याः— फिन(एल0ए0)एच(2)सी15(14) 111/82—खण्ड—8—पार्ट —4308—4310 दिनाँक 14.06.2018 शिमला—171009,
प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित हैः—

पंजीकृत 1 सचिव, हि0प्र0 तकनीकी शिक्षा बोर्ड धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0), को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।
2 निदेशक, तकनीकी शिक्षा व्यवसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण सुन्दरनगर जिला मण्डी हि0प्र0
3 विशेष सचिव (तकनीकी शिक्षा) हि0प्र0 सरकार शिमला—171002

हस्ता/—
(ज्ञान चन्द शर्मा)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009.
0177—2620881

परिशिष्ट–A

अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 1992 से 1995

1	पैरा–13	अनिर्णीत	(प्रतिनियुक्ति के रूप में किए गए अनियमित भुगतान बारे)

अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 1997–1998

1	पैरा–22 (ङ)	अनिर्णीत	(अधिवक्ता को किए गए अधिक भुगतान के सन्दर्भ में)

अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 2007–08

1	पैरा–8	अनिर्णीत	(बोर्ड की समस्त भूमि का राजस्व सम्बन्धी रिकार्ड प्रस्तुत करने बारे)

अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 2009–10

1	पैरा–11	अनिर्णीत	(राजपत्रित अवकाश वाले दिन गाड़ी के प्रयोग बारे)

अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 2011–12

1	पैरा–9	अनिर्णीत	(बिना सरकार की अनुमति के निदेशक, तकनीकी शिक्षा की 5 करोड़ प्रदान करने बारे)
2	पैरा–10	अनिर्णीत	(आई0टी0आई0 परिसर धर्मशाला में कम्पयूटर प्रयोगशाला व तीन आवासों के निर्माण बारे)

अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 2012–13

1	पैरा–15	निर्णीत	(कार्यवाही देख ली गई है)
2	पैरा–16	निर्णीत	(वसूली देख ली गई है)

अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 2013–14

1	पैरा–12	निर्णीत	(वसूली देख ली गई है)

अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 2014–15

1	पैरा–8	निर्णीत	(उपयोगिता प्रमाण पत्र देख लिया है)

2	पैरा–9	अनिर्णीत	(एच0आर0टी0सी0 ₹15 लाख वसूलने बारे)

अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 2015–16

1	पैरा–5	आंशिक निर्णीत	(अग्रधन राशि के समायोजन बारे)
2	पैरा–6	अनिर्णीत	(उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध न करवाने बारे)
3	पैरा–7	निर्णीत	(अर्नेस्ट मनी फारफीट कर ली गई है)
4	पैरा–8	निर्णीत	(अभिलेख देख लिया है)
5	पैरा–9	निर्णीत	(अब रिकार्ड तैयार किया जा रहा है)
6	पैरा–10	निर्णीत	(दिए गए उत्तर को मध्यनजर रखते हुए)
7	पैरा–11	निर्णीत	(स्टॉक प्रविष्टियाँ देख ली गई है)
8	पैरा–12 (क)	निर्णीत	(व्यय बारे दिए गए उत्तर अनुसार)
9	पैरा–12 (ख)	निर्णीत	(अब समायोजन समय अनुसार हो रहा है)

अनिर्णीत पैरों का सार

गत अंकेखण प्रतिवेदन अनुसार अनिर्णीत पैरे	19
वर्ष 2016–17 के दौरान लगाए गए पैरे	10
कुल पैरे	29
अंकेक्षण के दौरान निर्णीत पर	(–) 10
अन्तशेष	19